दिनांक 22–08–2013 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक 26.04.2013 की बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0, माननीय सदस्य द्वारा अनुरोध किया गया कि गत बैठक की कार्यवाही में उनके कुछ बिन्दु छूट गये हैं। कृपया उसे पुनः शामिल किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि लिखित आवेदन पत्र प्राप्त कर इस बार की कार्यवाही में शामिल करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

बैठक की कार्यवाही में अन्य किसी से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नही है। अतः सर्वसम्मति से संशोधन के प्रस्ताव के साथ दिनांकः–26.04.2013 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

कार्यावली बिन्दु संख्या–2

3–विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा के कम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गयेः–

(क) आरक्षी महानिदेशक के स्तर परConvictionRateमें सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा

संयोजक–सह–सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आरक्षी महानिदेशक के स्तर से सभी आरक्षी अधीक्षक कोConvictionRateमें सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना पर लगातार कार्य करने का निदेश दिया जा रहा है।

पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के द्वारा उपलब्ध कराये गये मासिक प्रतिवेदन के अनुसार माह जुलाई, 2013 तक 4066 मामले लंबित हैं। जिनमें से कुल 425 आरोप पत्र एवं अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि ConvictionRateमें सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(ख) नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने सूचित कियाकि गृह विभाग द्वारा नव सृजित "**अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना**" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन–गृह विभाग)

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यों की समीक्षा।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागने सूचित किया कि **विशेष कोषांग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के बीच वितरित सरकारी भूमि से बेदखली मामलों की अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर गठित कोर ग्रुप** के कार्यो की समीक्षा की जा रही है।

सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–926 दिनांक– 26.07.2013 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अनुसार कुल मामलों की संख्या 2781 है। इनमें से 927 वादों को निष्पादित किया गया है। भौतिक रूप से 654 अनुसूचित जाति/जनजाति के पक्ष में दखल–कब्जा दिलाए गये हैं।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन ससमय किया जाए और इसका नियमित अनुश्रवण प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्वयं करेंगे।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमिं सुधार विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–3

4–नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के तहत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8 (XI) के अधीन किये गये कार्यो की समीक्षा।

संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि नियम–9 के आलोक में प्रधान सचिव, गृह विभाग नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित हैं।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने बताया कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सचिव, विधि विभाग, महानिदेशक अभियोजन एवं पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

अपराध अनुसंधान विभाग के साथ नियमावली–1995 के नियम–9 के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों की प्रत्येक तिमाही के अंत में समीक्षा की जा रही है। दिनांक 20.08.2013 को नोडल पदाधिकारी के रूप में समीक्षा की गई है।

संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रधान सचिव, गृह विभाग नियम–10 के आलोक में विशेष पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा करें।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अधिनियम/नियम के आलोक में प्रधान सचिव, गृह विभागConvictionRateमें सुधार, लंबित मामलों (pending cases) में कमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष थाना, विशेष पदाधिकारियों के कार्यों एवं राहत अनुदान आदि की नियमित समीक्षा करें।

(अनुपालन–गृह विभाग)

साथ ही जिला में स्थापित विशेष कोषांग के लिए 38 कल्याण पर्यवेक्षक की स्वीकृत पद पर शीघ्र बहाली हेतु विधिसम्मत् प्रकिया प्रारभ्भ की जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

<u>कार्यावली बिन्दु संख्या–4</u>

<u>5–नियम–4 के तहत महानिदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षा।</u>

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने सूचित किया कि दिनांक–06.06.2013 को महानिदेशक अभियोजन, पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग एवं सचिव, विधि विभाग ने विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा की है।

इस संबंध में अध्यक्ष, महोदय ने निदेश दिया कि महानिदेशक, अभियोजन एवं विधि विभाग, विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता नियमित समीक्षा करें। वैसे विशेष लोक अभियोजक, जो अधिनियम/नियम के तहत संतोषजनक कार्य नही करते हैं, के जगह पर योग्य अधिवक्ता को कार्य का दायित्व सौंपने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–विधि विभाग/महानिदेशक अभियोजन)

कार्यावली विन्दु संख्या–6

6–नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान की समीक्षा।

सचिव, विधि विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए पांच जिलों यथा, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर मेंअनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री, महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के महानिबंधक से शीघ्र अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) की स्थापना करने का अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग/महानिदेशक अभियोजन)

कार्यावली बिन्दु संख्या–7

7–नियम–10 के अनुसार "विशेष अधिकारी" के कार्यो की समीक्षा।

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने सूचित किया कि **दिभागीय पत्रांक–1257 दिनांक –04/06/13 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार**विशेष पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की सूचना बक्सर, पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालन्दा, सारण, भभुआ, नवादा, समस्तीपुर, प0 चम्पारण, भागलपुर, सुपौल एवं भोजपुर जिलों से प्राप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशदिया गया कि **मुख्यसचिव के स्तर परप्रत्येक माह होनेवाले Video conference के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाय।**

(अनुपालन–मुख्य सचिव/गृह विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–8

8–पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत, यात्रा भत्ता और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि जिला पदाधिकारी से मांग के आलोक में राहत एवं पुनर्वास सुविधाओं के लिये प्रत्येक जिला को राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012–13 मेंरू० 370.96 लाख व्यय कर 1959 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2013–14 में रू० 558.10 लाख आवंटित की गई है जिससे अबतक 657 पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंतिम आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने से राहत राशि के भुगतान में कठिनाई होती है।हत्या/बलात्कार के मामले में आश्रित/पीड़िता को रू० 3000/– प्रति माह की दर से पेंशन देने की कार्रवाई की जा रही है।यात्रा भत्ता एवं अन्य विधिक सहायता दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अत्याचार से राहत मामलों में समय पर राहत अनुदान की राशि पीड़ित/आश्रित को दी जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–9

9–जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि सभी जिलों में नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। अबतक 11 जिलों द्वारा तीन बैठक, 21 जिलों द्वारा दो बैठक, 5 जिलों द्वारा एक बैठक एवं 1 जिला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। इस वर्ष अररिया जिला द्वारा एक भी बैठक आयोजित नही की गई है।सभी जिला पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में इस अधिनियम/नियम के तहत विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता की समीक्षा किये जाने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि स्पीडी ट्रायल और conviction rate बढ़ाया जा सके।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–10

10–भारत सरकार से नियम–12(4), 16 एवं 17 में संशोधन के प्रस्ताव पर विमर्श

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि भारत सरकार के पत्रांक 11012/3/2013–पी.सी.आर. (डेस्क), दिनांक 17.07.2013 से प्राप्त संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संषोधन नियम 2011 में दर वृद्धि के संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदनोपरांत भारत सरकार को भेजा जाना है।

इसी प्रकार नियम–1995 के नियम–16 और 17 में केन्द्र सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थानों को सदस्य के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है।साथ ही, नियम–17 के आलोक में अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के गठन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की सहमति अपेक्षित है।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि यह प्रस्ताव संचिका के माध्यम से सुसंगत मन्तव्य भारत सरकार को भेजने हेतु कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली विन्दु संख्या–11

11–अन्यान्य:–

(i) श्री उदय कुमार, अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना ने निम्नलिखित बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) चण्डी थाना काण्ड सं0–21/2013 दिनांक–02.03.2013

(b) छबीलापुर थाना काण्ड सं0–290/2005 दिनांक–11.08.2005 में मृतक चौकीदार स्व0 रामवृक्ष मांझी, पत्थरौरा, राजगीर, नालन्दा को मुआवजा दी जाय।

(c) पकड़ीदयाल थाना, जिला–मोतिहारी में श्री मोहन राम की मृत पत्नी के पोस्टमार्टम रिर्पोट में डा0 विरेन्द्र प्रसाद द्वारा गम्भीर बीमारी से मृत्यु होना अंकित किया गया है। जबकि FIR में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा अंकित है। इसकी जांच करायी जाय ताकि पीडित को लाभ मिल सके।

(अनुपालन–कमांक–a से c तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(d) मौजा पंडितपुर थाना सं0–475 खाता सं0–186 खेसरा सं0–924 रकवा–0.40 एकड़ जमीन को महादलितों को वितरित किया जाय एवं पूर्व में बदोबस्त भूमि को दाखिल–खारिज करते हुए हस्तगत कराया जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ii) श्री विद्यानन्द विकल, अध्यक्ष, राज्य अनु0 जाति आयोग, बिहार पटना ने निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) उनके द्वारा परिवाद पत्र दिया गया कि जो राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उम्मीदवारों को विशेष भर्ती अभियान के तहत कनीय वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक/विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद से बर्खास्त किए लोगों के संबंध में कृषि विभाग का पत्रांक–1927 दिनांक–04.04.2013 भ्रामक है। उनके परिवाद पत्र के आलोक में पुनः जांच करायी जाय।**(अनुपालन– प्रधान सचिव, कृषि विभाग)**

(b)सारण डोरीगंज थाना काण्ड सं0–33/13

(c)जमुई सिकन्दरा थाना काण्ड सं0–17/13

(d) भोजपुर, चरपोखरी थाना काण्ड सं0–56/13

(e) वैशाली भगवानपुर थाना काण्ड सं0–58/13

(f) प0 चम्पारण चनपटिया थाना काण्ड सं0–288/12

(g) पटना खाजेकला थाना काण्ड सं0–144/13

(h) भागलपुर शिवनारायणपुर थाना काण्ड सं0–83/13

(i) शिवसागर (सासाराम) थाना काण्ड सं0–158/13

(j) दुर्गावती(कैमूर) थाना काण्ड सं0–98/13

(k) सारण बनियापुर थाना काण्ड सं0–171/13

(l) पटना खाजेकला थाना काण्ड सं0–144/13 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाय।

(m) कल्याणपुर(समस्तीपुर) थाना काण्ड सं0–30/13 को निरस्त किया जाय।

(n)पश्चिम चम्पारण, बेतिया थाना काण्ड सं0–735/12 एवं चनपटिया थाना काण्ड संख्या 288/12 का स्पीडी ट्रायल कराया जाए।

(o) भोजपुर, चरपोखरी थाना काण्ड सं0–56/13 के फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराई जाए एवं पवना थाना काण्ड सं0–17/13 को निरस्त किया जाए।

(p)किशनगंज, बहादुरगंज थाना काण्ड सं0–25/13 में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

(q)सिकन्दरा जमुई थाना काण्ड सं0–17/13 की स्पीडी ट्रायल कराई जाए।

(r) बक्सर राजपुर थाना काण्ड सं0–158/13

(s)सिवान, नौतन थाना काण्ड सं0–3/13, 6/13 एवं 57/13

(t) सिवान, दरौंदा थाना काण्ड सं0–105/13

(u)जहानाबाद थाना काण्ड सं0–230/13 एवं 308/13

(v)जहानाबाद, घोसी थाना काण्ड सं0–41/12 एवं 42/12 साथ ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति थाना काण्ड संख्या –193/12

(w) पटना कृष्णापुरी थाना काण्ड सं0–87/13

(अनुपालन– कमांक–bसे w तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(x) बी0पी0एस0सी0 की पी0टी0 परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान हो ।

(अनुपालन–सामान्य प्रशासन विभाग)

(y)शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी संस्थानों पर लागू की जाय।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग)

(z) अनु0 जाति/जनजाति विकास की धटक उपयोजना से प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालयों में बालक/बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(iv) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया:–

(a) मनिहारी (कटिहार) थाना काण्ड संख्या 151/13 दिनांक 02.08.2013 में अभियुक्तों की गिरफ्तारीकी जाय।

(b) मनसाही(कटिहार) थाना काण्ड संख्या 25/13

(अनुपालन–कमांक–(a) से(b) तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(c) श्री दीप नारायण राम प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड–अमदाबाद, जिला–कटिहार के अनुसूचित जाति समुदाय के ऊपर श्री कामेश कुमार सिंह कामेश, व्याख्याता सासाराम, श्री डेविड शर्मा, कटिहार, श्री जयपाल सिंह, गुआगाछी, कटिहार, द्वारा श्री सुधीर कुमार सिंह पिता श्री माधोशरण सिंह, चाशौल चकिया, वेदौली, भगवानगंज, पटना के नाम से परिवाद पत्र देकर विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से प्रपत्र 'क' गठित करने की कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जांच करायी जाय।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग)

(d) कटिहार जिला के फलका अंतर्गत सबदा पंचायत के वार्ड संख्या 12 में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर महादलित समुदाय की श्रीमती माला देवी का नाम मेधा सूची में ऊपर रहने के बावजूद बहाल नहीं किये जाने की जाचं करायी जाए।

(अनुपालन–समाज कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी कटिहार)

(e) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के साथ प्रतिमाह की जाए एवं 30 दिनों के अंदर अनुसंधान कार्य पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(f) जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित बुलाना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(v)श्री रामलषण राम रमण, स0वि0स0 द्वारानिम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) कांटी(मुजफ्फरपुर) थाना में काण्ड सं0–237/12 में पीड़ितों को न्याय दिलाया जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)अपराध अनुसंधान विभाग)

(b)श्रीत्रिभुवन नाथ मिश्र, लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय मधुबनी के संबंध में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(c)श्रीमती उर्मिला देवी, पति स्व0 राजेन्द्र पासवान ग्राम–लसकरीपुर थाना–कांटी जिला–मुजफ्फरपुर के खाता संख्या 5, खेसरा–1466, रकवा 10 डिसमिल से इन्दिरा आवास सहित घर तोड़कर ईंट ले जाने एवं प्रताड़ित करने की जांच आई.जी. मुजफ्फरपुर से कराई जाए।

(अनुपालन– ग्रामीण विकास विभाग)

(d) अत्याचार के मामलों में अधिनियम की सुसंगत धारा लगाई जाए।

(e) नियम–10 के अंतर्गत जिला स्तर पर नामित विशेष अधिकारी की गतिविधि की समीक्षा की जाए।

(f) नियम–7(2) के अंतर्गत आरोपपत्र समर्पित नहीं करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(g) अधिनियम 1989 के तहत गठित विशेष न्यायालयों में अतिरिक्त सामान्य मामलों की सुनवाई होने से मामलों के निष्पादन में अप्रत्याशित देर होती है।

(h) लक्ष्मणपुर बाथे एवं बथानी टोला जहानाबाद कांड तकनीकी रूप से खामी होने के कारण अभियुक्त बरी हो गए। सरकार को एल.पी.ए. में जाना चाहिए।

(अनुपालन–कमांक–(d) से(h) तक पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(vii)श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, माननीय सदस्य, स0विस0 द्वारा बांका जिला के आदिवासी क्षेत्रों में प्रस्वीकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के आदिवासी छात्र/छात्राओं को सरकारी सुविधा मुहैया कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

(अनुपालन–शिक्षा विभाग/अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति क़ल्याण विभाग)

(viii)श्री कन्हैया कुमार, माननीय सदस्य, स0विस0 द्वारा नवादा जिला से होकर गुजरनेवाली के कुई नदी की जमीन किसी खास एक समुदाय को बदोबस्त किया जा रहा है। इसकी जांच राज्य स्तर के पदाधिकारी से करायी जाय। इसके अतिरिक्त कुई नदी के किनारेवाली परती जमीन को गरीब महादलित परिवारों के नाम बदोबस्त किया जाय ताकि उनका सामाजिक उत्थान हो सके।

(अनुपालन–राजस्व एवंभूमि सुधार विभाग)

माननीय अध्यक्ष–सह–मुख्यमंत्री महोदयद्वारा निम्नांकितनिदेशदिये गये:–

(i) सभी सदस्यों को बैठक की कार्यावली बिन्दु की टिप्पणी एवं गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व में उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सभी सदस्य पूर्ण रूप से अवगत होकर बैठक में भाग ले सकें।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(ii) मुख्य सचिव स्तर से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिनियम/नियम के प्रत्येक बिन्दुओं की नियमित समीक्षा की जाय। जिला स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित हो इसे सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–मुख्य सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग)

अन्त में संयोजक–सह–सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(एस0 एम0 राजू)
16/9/2013
सचिव।
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13.
प्रतिलिपि– माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13
प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री /आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण/आप्त सचिव, विधि मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13
प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,/विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी)विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप निरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/महानिदेशक, अभियोजन/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13
प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–12/13 2189 पटना, दिनांक– 19/9/13
प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, 189,बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/13
सरकार के अवर सचिव